

संख्या ए-12015/2/92-ए0टी0

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिवायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

.....

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई, 1996

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष, केन्द्रीय सरकार के काउंसिल/प्राधिकृत विभागीय प्रतिनिधियों के माध्यम से मामले प्रस्तुत करना ।

.....

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर यथा संशोधित प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985, की धारा 23(2) में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अधिकरण के समक्ष दायर किसी भी आवेदन के संबंध में इसके समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अपने किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है, इस अधिनियम के उक्त उपबन्धों को, इस विभाग के दिनांक 25.06.1986 तथा 25.08.1988 के काओज्ञा0 संख्या 11019/58/85-ए0टी0 के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में भी लाया गया था । यह देखा गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों की सफलता दर काफी उत्साहवर्धक हैं ।

2. उपरोक्त के मद्देनजर, यह बात पुनः दोहराई जाती है कि जब भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की किसी खण्डपीठ में आवेदन दायर किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय/विभाग अथवा इसके नियंत्रणाधीन किसी अधिकारी को प्रतिवादी बनाया जाता है तो संबंधित मामले के महत्व को देखते हुये, संबंधित मंत्रालय/विभाग अधिकरण की खण्डपीठ के समक्ष, अपने किसी अधिकारी को इस संबंध में उनके द्वारा समुचित रूप से प्राधिकृत किया गया हो के माध्यम से मामला प्रस्तुत करने के अपने विकल्प का उपयोग कर सकता है । इस तरह से प्राधिकृत किया जाने वाला अधिकारी भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग का समूह "क" अधिकारी अथवा डेस्क अधिकारी होना चाहिए । भारत सरकार के गैर-सचिवालयी कार्यालय के संबंध में वह केवल समूह "क" अधिकारी होना चाहिए । यह भी पुनः दोहराया जाता है कि उन मामलों में जहाँ मंत्रालय/विभाग अधिकरण की खण्डपीठ में सीधे अपने किसी अधिकारी के माध्यम से मामले को प्रस्तुत करने का निर्णय लेता है तो वह खण्डपीठ के रजिस्ट्रार को, सरकार की ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए

किसी अधिकारी विशेष को प्राधिकृत करने के संबंध में लिख दें। इस प्रकार से प्राधिकृत किये गए अधिकारियों को अधिकार के समक्ष पेश होने तथा सरकार की ओर से पैरवी करने के हकदार नहीं हैं।

सभी मंत्रालय/विभागों से अनुरोध किया जाता है वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में ला दें।

सी. एल. शर्मा  
सी. एल. शर्मा  
अवर सचिव, [ए० टी०]

प्रति प्रेषित:-

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।